संख्याः 3818/आठ–1–2009–135 एल.डी.ए./09

प्रेषक,

हरमिन्दर राज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांकः 06 नवम्बर, 2009

विषयः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार के विभागों को आवंटित भवन/भूखण्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के विभागों व उनके अधीनस्थ कार्यरत संस्थाओं को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी योजनाओं में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूखण्ड आवंटित किए जाते हैं। उक्त भूखण्डों का मूल्य आवंटन नियम प्रक्रिया एवं गणना निर्देशिका के अनुसार आवंटन की तिथि को प्रचलित विक्रय मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। उक्त भूखण्डों को क्रय करने व भवन निर्माण करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धनराशि आय–व्ययक में प्राविधान कर उपलब्ध कराई जाती है। उक्त धनराशि की आय–व्ययक में व्यवस्था करने व वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने में पर्याप्त समय व्यतीत हो जाता है जिसके कारण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद व विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि के पश्चात ब्याज/दण्ड ब्याज आरोपित किया जाता है। इस प्रकार शासन से धनराशि प्राप्त होने में हुए विलम्ब के कारण ब्याज/दण्ड ब्याज की देयता निरन्तर बढ़ती जाती है जिसे माफ किए जाने का कोई प्राविधान नियमों में नहीं है। ऐसी दशा में सरकारी विभागों पर अतिरिक्त धनराशि की देयता के कारण आडिट आपत्ति भी दृष्टित होती है।

2. उक्त वर्णित स्थिति पर शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा

विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी योजनाओं में राज्य सरकार के विभागों व अधीनस्थ संस्थाओं को आवंटित की जाने वाली भूमि के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा दो वित्तीय वर्षों के अन्दर किए जाने की दशा में मूल धनराशि पर कोई ब्याज/दण्ड ब्याज नही लिया जाएगा। तदनुसार गणना निर्देशिका का प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

3. उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(हरमिन्दर राज सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अध्यक्ष, समस्त आयोग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, अनुश्रवण, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को सूचित करें।
9. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच. पी. सिंह)
अनु सचिव